छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 326/2008*</u>

1. **श्री इंदरचन्द सोनी,** – *अपीलार्थी*
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 30 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 17.12.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.01.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 05.03.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके उत्तर में विलंब के लिए उत्तरदायी तत्कालीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग तथा वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी, जांजगीर-चांपा श्री एस0के0 परेता ने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया । उत्तर और सुनवाई में तर्क के दौरान उनके द्वारा यह बताया गया कि जिस लिपिक ने आवेदन प्राप्त किया, उसके द्वारा उनके समक्ष विलंब से पत्र प्रस्तुत किया और बीच में वे अर्जित अवकाश में मुख्यालय से बाहर थे । प्रकरण में उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्णतः संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने कार्यालय की व्यवस्था के लिए कार्यालय प्रभारी अधिकारी ही जिम्मेदार होता है और उन्हें अपने अधीनस्थ के कार्यो पर पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए । अतः सूचना का अधिकार के संबंध में उनके द्वारा तथा लिपिक द्वारा लापरवाही से कार्य किया जाना प्रतीत होता है, फिर भी उत्तर को देखते हुए थोड़ा उदार रूख अपनाया जाकर अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत श्री एस0के0 परेता,

जिला परिवहन अधिकारी, जांजगीर-चांपा तथा तत्कालीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के विरूद्ध जानकारी में विलंब के लिए राशि 2500/- रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को यह अनुशंसा की जाती है कि जिस लिपिक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब किया गया है, उसके विरूद्ध भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही परिवहन आयुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उनके अधीनस्थ आने वाले सभी कार्यालयों में और विशेष रूप से दुर्ग कार्यालय में यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सूचना का अधिकार के संबंध में इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावे । प्रकरण में जो जानकारी दी गई है, उसमें अपीलार्थी ने आवेदन की कंडिका-3 एवं 5 में जानकारी अपूर्ण बताई गई है तथा यह जानकारी दुर्ग कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना और परिवहन आयुक्त कार्यालय में ही उपलब्ध होना बताया गया है, अतः अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यह चाहिए था कि वे संबंधित कंड़िकाओं को परिवहन आयुक्त कार्यालय में हस्तांतरित करते । अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कंड़िकायें परिवहन आयुक्त कार्यालय को तीन दिन में हस्तांतरित किया जावे और वहाँ से शेष जानकारी भी अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त